भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3412

जिसका उत्तर शुक्रवार, 05 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

**बाल हितैषी न्यायालय**

**3412. श्री जगदम्बिका पाल :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के अंतर्गत कुछ बाल-हितैषी विशेष न्यायालय स्थापित किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो पॉक्सो के अंतर्गत अब तक स्थापित बाल-हितैषी विशेष न्यायालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) वर्तमान में पॉक्सो के अंतर्गत कितने मामले लंबित हैं ; और

(ङ) पॉक्सो के अंतर्गत लंबित मुद्दों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदम क्या हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्री**

**( श्री किरेन रीजीजू )**

**(क) से (घ) :** यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों जिनके अंतर्गत बाल अनुकूल विशेष न्यायालय भी हैं, की स्थापना करना राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के भीतर आता है, जिन्हे वे अपने संबंधित उच्च न्यायालयों से परामर्श करके उनकी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार स्थापित करते है । दंड विधि संशोधन अधिनियम, 2018 के अनुसरण में भारत संघ ने अक्टूबर, 2019 में बलातसंग और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों के शीघ्र विचारण और निपटान के लिए 389 अनन्य पॉक्सो न्यायालय (ई-पॉक्सो) सहित 1023 विशेष त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना

करने के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम आरंभ की है । यह स्कीम 31 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में क्रियान्वित की जानी थी, उच्च न्यायालय से प्राप्त आकडों के अनुसार 408 ई-पॉक्सो न्यायालयों सहित 728 विशेष त्वरित निपटान न्यायालय 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जिन्होने 1,02,000 मामलों से अधिक मामलों का निपटान किया है और 30 जून, 2022 तक ई-पॉक्सो न्यायालयों सहित इन विशेष त्वरित निपटान न्यायालयों में 1,89,000 मामले लंबित थे । ई-पॉक्सो न्यायालयों सहित कार्यरत विशेष त्वरित निपटान न्यायालयों के राज्य वार ब्यौरे उपाबंध में दिए गए हैं ।

**(ङ) :** ई-पॉक्सो न्यायालयों सहित विशेष त्वरित निपटान न्यायालयों के निर्वाद कार्यकरण के लिए और उनमें लंबित मुद्दों का समाधान करने के लिए नियमित पुनर्विलोकन बैठकें न्याय विभाग द्वारा उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रारों और राज्य सरकारों के कृत्यकारियों के साथ संचालित की जा रही हैं । अंतिम पुनर्विलोकन बैठक सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों और उच्च न्यायालयों के साथ तारीख 25 जुलाई, 2022 से 29 जुलाई, 2022 के बीच संचालित की गई थी । इसके अतिरिक्त, विधि और न्याय मंत्रालय ने शेष विशेष त्वरित निपटान न्यायालयों के प्रारंभिक परिचालन के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के सचिव को पत्र लिखा है ।

*******

**उपाबंध**

**अनन्य पॉस्को न्यायालयों सहित विशेष त्वरित निपटान न्यायालयों के राज्य वार ब्यौरे**

**(30 जून, 2022 तक)**

| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ राज्यक्षेत्र** | **कार्यरत विशेष त्वरित निपटान न्यायालय** | |
|---|---|---|---|
| | | **अनन्य पॉस्को न्यायालय सहित विशेष त्वरित निपटान न्यायालय** | **अनन्य पॉस्को न्यायालय** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 12 | 12 |
| 2 | असम | 17 | 17 |
| 3 | बिहार | 45 | 45 |
| 4 | चंडीगढ | 1 | 0 |
| 5 | छत्तीसगढ | 15 | 11 |
| 6 | दिल्ली | 16 | 11 |
| 7 | गोवा | 1 | 1 |
| 8 | गुजरात | 35 | 24 |
| 9 | हरियाणा | 16 | 12 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 6 | 3 |
| 11 | जम्मू-कश्मीर | 4 | 2 |
| 12 | झारखंड़ | 22 | 16 |
| 13 | कर्नाटक | 22 | 16 |
| 14 | केरल | 28 | 14 |
| 15 | मध्य प्रदेश | 67 | 57 |
| 16 | महाराष्ट्र | 39 | 21 |
| 17 | मणिपुर | 2 | 0 |
| 18 | मेघालय | 5 | 5 |
| 19 | मिज़ोरम | 3 | 1 |
| 20 | नागालैंड़ | 1 | 1 |
| 21 | ओड़िशा | 36 | 15 |
| 22 | पंजाब | 12 | 3 |
| 23 | राजस्थान | 45 | 30 |
| 24 | तमिलनाडू | 14 | 14 |
| 25 | तेलंगाना | 36 | 2 |
| 26 | त्रिपुरा | 3 | 1 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 218 | 74 |
| 28 | उत्तराखंड | 4 | 0 |
| | कुल | 728 | 408 |

**********